



UPLK010069922026

In the court of **Additional District and Sessions Judge Court No 4, Lucknow**

पीठासीन अधिकारी- (Sri Abhinay Kumar Mishra), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06239

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3322/2026

रञ्जन लाल, आयु लगभग 56 वर्ष, पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी- राही उमरा, राही, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी

मु०अ०सं०-124/2026

अ०धारा-108 BNS,

थाना-बिजनौर, लखनऊ।

दिनांक-22.06.2026

1. अभियुक्त रञ्जन लाल की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या-124/2026, अंतर्गत धारा- 108 BNS, थाना-बिजनौर, लखनऊ के मामले में माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से अंतरण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. अभियुक्त रञ्जन लाल के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्नलिखित हैं-

उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी अभियुक्त है एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से भली-भांति अवगत है, तथा मुकदमे का पैरोकार है। वादी द्वारा अत्यंत दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध थाना बिजनौर, लखनऊ में मुकदमा अपराध सं०- 124/2026, अंतर्गत धारा 108 बी०एन०एस० दिनांक 08.05.2026 को दर्ज कराया गया है, जो कि पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एफ०आई०आर० के अनुसार, मृतक अभिषेक कुमार दीक्षित ने प्रार्थी को रुपये 1,30,000/- उधार दिए थे, जिसे वापस मांगने पर टालमटोल व विवाद किया गया। जिसके परिणामस्वरूप मृतक ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और एक कथित मैसेज में प्रार्थी व अन्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। प्रार्थी का उक्त घटना से कोई संबंध नहीं है, तथा प्रार्थी का उक्त मृतक से किसी भी प्रकार से धन का कोई लेन-देन नहीं थी वास्तविक तथ्य यह है कि मृतक अभिषेक कुमार दीक्षित स्वयं अत्यधिक आक्रामक और लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो प्रार्थी के पिता को काफी समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और प्रार्थी के पिता से रुपये 60,000/- की अवैध रंगदारी की मांग कर रहा था। मृतक की इस अवैध मांग और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर प्रार्थी के पिता ने मृतक के जीवित रहते हुए ही, दिनांक 23.04.2026 को पुलिस अधीक्षक रायबरेली को एक लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें मृतक के कृत्यों की जांच की मांग की गई थी। मृतक की मृत्यु दिनांक 25.04.2026 को हुई थी, जबकि वर्तमान एफ०आई०आर० अत्यंत विलंब से, घटना के लगभग 13 दिन बाद, दिनांक 08.05.2026 को थाना बिजनौर, लखनऊ

में केवल प्रार्थी को अनुचित रूप से प्रताड़ित करने और जेल भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है। एफ०आई०आर० में वर्णित कथन से ही स्पष्ट है कि मृतक पैसे वापस न मिलने के कारण स्वयं मानसिक अवसाद में था, जिससे साबित होता है कि वह अत्यंत संवेदनशील और कमजोर मानसिक स्थिति का व्यक्ति था, जिसके किसी भी आत्मघाती कदम के लिए प्रार्थी को विधिक रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है कोई अन्य अग्रिम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया है और कथन किया गया है कि अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित होगा।
4. इसके विपरीत विद्वान सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।
5. प्र०सू०रि० के अनुसार प्रार्थी के भाई अभिषेक कुमार दीक्षित पुत्र स्व० श्रवण कुमार दीक्षित निवासी सराय वन पुकार मजरे सराय चौबे थाना कोतवाली हैदरगढ़ जिला बाराबंकी लखनऊ में प्राइवेट ड्राइवर की नौकरी कैलाशनाथ पाल जो कि जी.एस.टी. कमिश्नर पद पर तैनात हैं और ओमेक्स सिटी में रहते हैं तथा उन्हीं के यहाँ मेरा भाई ड्राइवर की नौकरी करता थे। महादेव कैलाशनाथ पाल के यहाँ परिवार के सदस्यों को इलाज करवाने के लिए एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ ले जाया करते थे तथा प्रार्थी के भाई का संपर्क एस.जी.पी.जी.आई. जाने पर आशीष मौर्या पुत्र रज्जन लाल निवासी ग्राम उमरा पोस्ट राही थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली से मुलाकात हुई तथा वहीं से दोनों में धीरे-धीरे काफी दोस्ती हो गई तथा घर आना जाना शुरू हो गया। आशीष मौर्या मेरे पैतृक निवास पर कई बार आये। धीरे-धीरे करके मेरे भाई से बहन व मां की बीमारी के चक्कर में लगभग एक लाख तीस हजार रुपये उधार लिया काफी समय बाद जब रुपया वापस करने के लिए मेरे भाई द्वारा अनुरोध किया गया तो आना-कानी करने लगे तथा बिना बजह गाली-गलौज करने लगे। उक्त घटना के कारण मेरा भाई अवसाद में चला गया। हमारे भाई ने मुझसे बताया कि आशीष और उनके पिता मेरा रुपया वापस नहीं कर रहे हैं। दिनांक 24.04.2026 को हमारे भाई ने आशीष को मैसेज किया तो उसका रिप्लाई नहीं दिया तो मेरे भाई ने शोकवस आत्महत्या कर ली, और मैसेज किया कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम (आशीष), सोनू, तुम्हारे पिता होंगे।
6. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, एवं विद्वान सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तर्कपूर्ण बहस को सुना व पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।
7. सुनने एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथपत्र तथा मुकदमा अपराध संख्या- 124/2026, थाना-बिजनौर लखनऊ की एफ०आई०आर० की छायाप्रति, थाना बिजनौर से प्राप्त कमेंट तथा उसके साथ प्रस्तुत केसडायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं वादी के धारा 161 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत अंकित बयान में यह तथ्य अंकित है कि वादी के भाई मृतक से अभियुक्त ने एक लाख तीस हजार रुपये उधार लिया एवं वापस नहीं किया, जिस कारण वादी का भाई अवसाद में चला गया। दिनांक 24.04.2026 को वादी के भाई मृतक ने अभियुक्त को अपने मोबाइल से व्हाट्सअप के जरिए मैसेज किया कि उसकी मौत का जिम्मेदार आशीष, सोनू एवं उसके पिता होंगे। उसके पश्चात वादी के भाई ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रकट

होता है कि अभियुक्त के द्वारा वादी के भाई का पैसा वापस न किए जाने के कारण वादी उक्त घटना से आहत होकर आत्महत्या कर लिया है। मामला अभी विवेचनाधीन है। अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का समुचित व पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रज्जन लाल की ओर से मु०अ०सं०-124/2026, अंतर्गत धारा- 108 BNS, थाना-बिजनौर, लखनऊ से संबंधित मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-3322/2026 निरस्त किया जाता है।

(अभिनय कुमार मिश्रा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-4/
विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट, लखनऊ।